

मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण

विज्ञाप्ति

प्राधिकरण मुख्यालय एवं विभिन्न पीआईयू में मुख्य महाप्रबंधक-1 पद, महाप्रबंधक-12 पद एवं लेखाधिकारी के 18 पदों पर तथा मनरेगा में मुख्य अभियंता-1 पद, अधीक्षण यंत्री-2 पद एवं कार्यपालन यंत्री के 2 पदों पर प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा आधार पर, चयन हेतु अहताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं। पदों हेतु निर्धारित अहताधारी आवेदक यदि एक से अधिक पदों पर करना चाहते हैं तो आवेदन पत्र में क्र. 15 पर प्राथमिकता का क्रम आवश्यक रूप से अंकित किया जावें, विभिन्न संवर्गों हेतु विज्ञापित पदों को आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है, इस संबंध में नियोक्ता द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा आधार नियुक्ति हेतु पूर्णतः भरे हुये आवेदन जमा करने की अन्तिम दिनांक 09/08/2017 है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञाप्ति (अ) (ब) एवं (स), उक्त पदों हेतु वेतन, न्यूनतम अहताएं, आयु सीमा, पदस्थापना एवं आवेदन पत्र का प्रारूप इत्यादि अन्य जानकारी, विभागीय बेवसाईट mprrda.com/default.html पर उपलब्ध है।

क्र. 17133 दिनांक 14/07/2017, क्र. 17134 दिनांक 14/07/2017 एवं क्र. 17135 दिनांक 14/07/2017


मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा.)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

पर्यावास भवन, खण्ड-2, पंचम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 17133 / 22 / वि-12/2017

भोपाल, दिनांक 14.07.2017

विज्ञप्ति (अ)

प्राधिकरण मुख्यालय एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में निम्नलिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा आधार पर पदस्थापना हेतु अहताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं : -


क्र	पदनाम	वेतनमान/एकजा ई संविदा मानदेय	नियुक्ति का प्रकार	अधिकरण आयु सीमा	न्यूनतम अर्हताएं	अनुमानित पद संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य महाप्रबंधक (सिविल)	वेतन बैण्ड में वेतन रूपये 37400-67000 ग्रेड वेतन रूपये 8700	प्रतिनियुक्ति		मुख्य अभियंता (सिविल) के मूल पर पद पर कार्यरत अथवा अधीक्षण यंत्री के पद पर कार्यरत एवं न्यूनतम 3 वर्ष अधीक्षण यंत्री के मूल पदधारित करते हुये सेवा की हो। अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के पद पर रहते हुए सङ्क एवं पुल निर्माण कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।	01	प्राधिकरण मुख्यालय
		रु. 90000/- प्रतिमाह	से.नि. उपरांत संविदा	63 वर्ष तक	मुख्य महाप्रबंधक के पद हेतु मुख्य अभियंता (सिविल) से सेवानिवृत्त अथवा अधीक्षण यंत्री के पद से सेवानिवृत्त एवं न्यूनतम 3 वर्ष अधीक्षण यंत्री के मूल पदधारित करते हुये सेवा की हो। अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के पद पर रहते हुए सङ्क एवं पुल निर्माण कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी। इसके अतिरिक्त इससे उच्च पद पर कार्यरत रहते हुये सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जैसे—प्रमुख अभियंता पद से सेवानिवृत्त भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।		
2	महाप्रबंधक (सिविल)	वेतन बैण्ड में वेतन रूपये 15600-39100 ग्रेड वेतन रूपये 7600	प्रतिनियुक्ति		राज्य शासन के कार्य विभागों, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों, केन्द्र एवं राज्य शासन के निगम, मण्डल व उपक्रम के अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के मूल पद पर कार्यरत डिग्रीधारी सिविल इंजीनियर, अथवा ऐसे सिविल डिग्रीधारी सहायक यंत्री, जिहें 15 वर्षों का अनुभव सहायक यंत्री के रूप में हो, जिसमें से 10 वर्षों का फील्ड का अनुभव हो। अथवा ऐसे सहायक यंत्री (सिविल डिग्रीधारी) जिन्हें मूल पद पर रहते हुये प्राधिकरण में सहायक प्रबंधक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो।	12	प्राधिकरण इकाई
		रु. 50000/- प्रतिमाह	से.नि. उपरांत संविदा	63 वर्ष तक	महाप्रबंधक के पद हेतु राज्य शासन के कार्य विभागों, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों, केन्द्र एवं राज्य शासन के निगम, मण्डल व उपक्रम के अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के पद से सेवानिवृत्त डिग्रीधारी सिविल इंजीनियर, रोड एवं पुल निर्माण के मैदानी कार्य को प्राथमिकता दी जावेगी अथवा ऐसे सेवानिवृत्त सिविल डिग्रीधारी सहायक यंत्री, जिहें 15 वर्षों का अनुभव सहायक यंत्री के रूप में हो, जिसमें से 10 वर्षों का फील्ड का अनुभव आवश्यक है। रोड एवं पुल निर्माण के मैदानी कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी। इससे उच्च अभियंता पद पर कार्यरत रहते हुये सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जैसे—मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता से सेवानिवृत्त अर्थात् ग्रेड पे रु. 8900 या अधिक होने पर आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।		

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के उपरोक्तानुसार रिक्त पदों की पूर्ति, निर्धारित चयन प्रक्रिया के उपरांत प्रथमतः प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाना है। प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

चयन की शर्तें :-

1. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से आगामी 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक भी आवेदन कर सकेंगे, अर्थात् दिनांक 31.01.2018 तक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय/अद्वैशासकीय सेवक भी आवेदन कर सकेंगे। सेवानिवृत्ति उपरांत विज्ञापन जारी होने की दिनांक को 63 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सेवक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
2. सेवानिवृत्त उपरांत संविदा पर मुख्य महाप्रबंधक के पद हेतु मुख्य अभियंता (सिविल) से सेवानिवृत्त अथवा अधीक्षण यंत्री के पद से सेवानिवृत्त एवं न्यूनतम 3 वर्ष अधीक्षण यंत्री के मूल पदधारित करते हुये सेवा की जाना आवश्यक होगा। अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के पद पर रहते हुए सड़क एवं पुल निर्माण कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी। इसके अतिरिक्त इससे उच्च पद पर कार्यरत रहते हुये सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जैसे—प्रमुख अभियंता पद से सेवानिवृत्त भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
3. सेवानिवृत्त उपरांत संविदा पर महाप्रबंधक के पद हेतु राज्य शासन के कार्य विभागों, म. प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों, केन्द्र एवं राज्य शासन के निगम, मण्डल व उपक्रम के अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के पद से सेवानिवृत्त डिग्रीधारी सिविल इंजीनियर, जिन्हें रोड एवं पुल निर्माण मैदानी कार्य का अनुभव हो को प्राथमिकता दी जावेगी अथवा ऐसे सेवानिवृत्त सिविल डिग्रीधारी सहायक यंत्री, जिन्हें 15 वर्षों का अनुभव सहायक यंत्री के रूप में हो, जिसमें से 10 वर्षों का फील्ड का अनुभव आवश्यक है। रोड एवं पुल निर्माण के मैदानी कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी। इससे उच्च अभियंता पद पर कार्यरत रहते हुये सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जैसे—मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता से सेवानिवृत्त अर्थात् ग्रेड पे रु. 8900 या अधिक होने पर आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
4. मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक पद हेतु सिविल इंजीनियरिंग डिग्रीधारी होना अनिवार्य होगा।
5. उक्त पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में योग्य अभ्यर्थियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर उनके मूल विभाग से सेवाकाल के अंतिम पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जावेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग में कम से कम तीन वर्षों में के एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में घ न हो, के अनुरूप होना चाहिये एवं ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण व्यूरो/विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन के प्रकरण लंबित न होने पर पदस्थापना हेतु पात्र माना जायेगा।
6. उपरोक्त चयन प्रक्रिया के अनुसार चयनित मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक की संविदा आधार पर 2 वर्ष के लिये सक्षम अधिकारी अर्थात् मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध किया जाकर नियुक्ति दी जा सकेगी। इसके पश्चात आवश्यकता होने पर प्रतिवर्ष कार्य की समीक्षा उपरांत संविद अधिकारी का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रतिवर्ष एक—एक वर्ष की सेवा वृद्धि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सक्षम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
7. संविदा सेवा में प्रतिमाह निम्नानुसार एकजार्ड संविदा मानदेय देय होगा :-
 - 7.1 मुख्य महाप्रबंधक - रु. 90000/- प्रतिमाह
 - 7.2 महाप्रबंधक - रु. 50000/- प्रतिमाह
8. संविद अधिकारी को प्रतिवर्ष निम्नानुसार अवकाश की पात्रता होगी –
 - 8.1 आकर्षिक अवकाश - 13 दिवस
 - 8.2 एच्छिक अवकाश - 03 दिवस

- 8.3 चिकित्सा अवकाश - 15 दिवस
9. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
 10. संविदा पर नियुक्त संविद अधिकारियों को आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किया जा सकेगा।
 11. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज् में एक माह का पारिश्रमिक देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
 12. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे। मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के पद पर कार्य करते हुये यदि उनके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत कार्य करने की सूचना प्राप्त होती है तो उन्हें सम्यक जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा तत्काल सेवा से पृथक किया जावेगा। प्राधिकरण को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के आचरण/कार्य से वित्तीय हानि होने की स्थिति में वसूली भू. राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी तथा आवश्यकता होने पर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जा सकेगा।
 13. प्रतिनियुक्ति पद पदस्थ अधिकारियों को वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतन एवं भत्ते ही प्राप्त होंगे एवं म.प्र. शासन के नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होगा एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति में म.प्र. शासन के निर्देश लागू होंगे।
 14. प्राधिकरण द्वारा मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक पदों पर प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु प्रक्रिया भी सतत रूप से प्रचलित रहेगी। इस प्रक्रिया द्वारा प्राधिकरण को प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक पद हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त होते हैं तो संविदा पर नियुक्ति किए गए मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक की सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।
 15. दिनांक 23.06.2017 को जारी विज्ञप्ति क्रमांक 15501 एवं 15502 में प्राप्त आवेदनों को इस विज्ञप्ति में शामिल नहीं किया जावेगा। अर्थात उन्हें पृथक से आवेदन करना होंगे। एक से अधिक पदों की अर्हता होने की स्थिति में चयन प्रक्रिया में शामिल होने हेतु आवेदन पर निर्धारित कॉलम में प्राथमिकता का क्रम उल्लेख करना होगा।
 16. मुख्य महाप्रबंधक व महाप्रबंधक पद हेतु साक्षात्कार दिनांक 21–22 अगस्त 2017 को लिया जायेगा।
 17. आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
 18. अर्हताएं एवं आयु सीमा तथा अनुभव इत्यादि के संबंध में वर्षों की गणना विज्ञापन जारी होने के दिनांक से की जावेगी।
 19. इच्छुक अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति/से.नि. उपरांत संविदा पदस्थापना हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रस्तुत करेंगे एवं आवेदन की एक अग्रिम प्रति कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल, म.प्र. के पते पर भेजेंगे। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 09/08/2017 कार्यालयीन समय तक है। योग्य पाये गये अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु संबंधित आवेदकों को दूरभाष एवं डाक द्वारा सूचित किया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी विभागीय बेवसाईट mprrda.com/default.html पर उपलब्ध है। भर्ती से संबंधित अतिरिक्त जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में दूरभाष क्र. 0755–2573389 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकेगी।


 मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)
 मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्करित विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

पर्यावास भवन, खण्ड-2, पंचम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 17134 / 22 / वि-12 / E-3-2 / 2017

भोपाल, दिनांक 14.07.2017

विज्ञप्ति (ब)

इस प्राधिकरण मुख्यालय एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में निम्नलिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर पदस्थापना एवं सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा नियुक्ति हेतु, अहताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं :—

क्र	पदनाम	प्रतिनियुक्ति/संविदा हेतु समकक्ष वेतनमान	नियुक्ति का प्रकार	अधिकरण आमु सीना	प्रतिनियुक्ति/संविदा के लिए न्यूनतम अहताएं	अनुमानित पद संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लेखा अधिकारी	वेतन बैंड में वेतन रु० 15600—39100 वेतनमान में घेड पे रु० 5400/-	प्रतिनियुक्ति	5	महालेखाकार, केन्द्र सरकार, म.प्र. शासन के वित्त विभाग के लेखा/वित्त से संबंधित समकक्ष रत्तर के अधिकारी जिन्हें निर्माण कार्य विभाग में लेखा/वित्त संबंधी कार्य करने का अनुभव हो एवं कम्प्यूटर में कार्य करने का भी अनुभव हो। अथवा केन्द्र सरकार/म.प्र. शासन के निगम/ मंडल/ बोर्ड के लेखा/वित्त से संबंधित समकक्ष रत्तर के अधिकारी जिन्हें निर्माण कार्य लेखा संधारण, का न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव हो एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने का भी अनुभव हो।	18	प्राधिकरण की इकाईयों हेतु
		—	से.नि. उपरांत संविदा	63 वर्ष	महालेखाकार, केन्द्र सरकार, म.प्र. शासन के वित्त विभाग के लेखा/वित्त से संबंधित, समकक्ष रत्तर से सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्हें निर्माण कार्य विभाग में लेखा/वित्त संबंधी कार्य करने का अनुभव हो एवं कम्प्यूटर में कार्य करने का भी अनुभव हो। अथवा केन्द्र सरकार/म.प्र. शासन के निगम/ मंडल/ बोर्ड के लेखा/वित्त से संबंधित, समकक्ष रत्तर से सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्हें निर्माण कार्य लेखा संधारण, का न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव हो एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने का भी अनुभव हो।		

2. उपरोक्त पदों की पूर्ति प्राथमिक रूप से प्रतिनियुक्ति आधार पर की जावेगी। प्रतिनियुक्ति पर योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में ही इन्हें से.नि. उपरांत संविदा आधार पर भरा जावेगा।

3. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से आगामी 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक भी आवेदन कर सकेंगे, अर्थात् दिनांक 31.01.2018 तक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक भी आवेदन कर सकेंगे। सेवानिवृत्ति उपरांत विज्ञापन जारी होने की दिनांक को 63 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सेवक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

4. उपरोक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पदरथ किये जाने वाले अभ्यर्थियों को उनके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहा वेतन म.प्र. शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार देय होगा। सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा पर पदस्थ किये जाने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार सेवानिवृत्ति के समय अंतिम मासिक वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि संविदा प्रारिश्रमिक के रूप में प्रतिमाह देय होगी। जिन विभागों/निगमों/मंडलों आदि में म.प्र. शासन के नियमों के अनुरूप पेंशन का प्रावधान नहीं है, वहां अंतिम मासिक वेतन की 50 प्रतिशत राशि को पेंशन राशि माना जाकर देय प्रारिश्रमिक की गणना की जावेगी।

5. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे। लेखाधिकारी के पद पर कार्य करते हुये यदि उनके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत कार्य करने की सूचना प्राप्त होती है तो उन्हें सम्यक जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा तत्काल सेवा से पृथक किया जावेगा। प्राधिकरण को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के आचरण/कार्य से वित्तीय हानि होने की स्थिति में वसूली

भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी तथा आवश्यकता होने पर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जा सकेगा।

6. प्रतिनियुक्ति आधार पर चयनित आवेदक विभागों की सहमति से तथा आवश्यकतानुसार कार्य करते रहेंगे। से.नि. उपरांत संविदा आधार पर दो वर्ष की समयावधि के लिए नियुक्ति की जावेगी। इसके पश्चात आवश्यकता होने पर प्रतिवर्ष कार्य की समीक्षा उपरांत संविद अधिकारी का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रतिवर्ष एक-एक वर्ष की सेवा वृद्धि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सक्षम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।

7. प्राधिकरण को कोई भी/सभी आवेदनों को अमान्य करने का अधिकार होगा।

8. आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।

9. संविद अधिकारी को प्रतिवर्ष निमानुसार अवकाश की पात्रता होगी –

9.1 आकस्मिक अवकाश – 13 दिवस

9.2 एच्छिक अवकाश – 03 दिवस

9.3 चिकित्सा अवकाश – 15 दिवस

10. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।

11. उक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति प्रसारित कर प्राप्त आवेदनों में योग्य अभ्यर्थियों को प्रमुख अभियंता की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर उनके मूल विभाग से सेवाकाल के अंतिम पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जावेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग में कम से कम तीन वर्षों में क एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में घ न हो, के अनुरूप होना चाहिये एवं ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/विजिलेंस इन्वेष्यरी के प्रकरण लंबित न होने पर पदस्थापना हेतु पात्र माना जायेगा।

12. अर्हताएँ एवं आयु सीमा तथा अनुभव इत्यादि के संबंध में वर्षों की गणना विज्ञापन जारी होने की दिनांक से की जावेगी।

11. उपरोक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से अथवा सेवानिवृत्त उपरांत संविदा के माध्यम से पूर्ति की जाना है, अतः फेशर अभ्यर्थी आवेदन न करें।

13. लेखाधिकारी का साक्षात्कार की दिनांक 26 अगस्त 2017 को नियत किया गया है।

14. प्रतिनियुक्ति पद पदस्थ अधिकारियों को वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतन एवं भत्ते ही प्राप्त होंगे एवं म.प्र. शासन के नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होगा एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति में म.प्र. शासन के निर्देश लागू होंगे।

15. दिनांक 23.06.2017 को जारी विज्ञप्ति क्रमांक 15501 एवं 15502 में प्राप्त आवेदनों को इस विज्ञप्ति में शामिल नहीं किया जावेगा। अर्थात उन्हें पृथक से आवेदन करना होंगे। एक से अधिक पदों की अर्हता होने की स्थिति में चयन प्रक्रिया में शामिल होने हेतु आवेदन पर निर्धारित कॉलम में प्राथमिकता का क्रम उल्लेख करना होगा।

16. इच्छुक अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति/से.नि. उपरांत संविदा पदस्थापना हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रस्तुत करेंगे एवं आवेदन की एक अग्रिम प्रति कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल, म.प्र. के पते पर भेजें। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 09/08/17 कार्यालयीन समय तक है। योग्य पाये गये अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु संबंधित आवेदकों को दूरभाष एवं डाक द्वारा सूचित किया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी विभागीय बेवसाईट mprrda.com/default.html पर उपलब्ध है। भर्ती से संबंधित अतिरिक्त जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में दूरभाष क्र. 0755-2573389 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकेगी।

मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्करित विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

पर्यावास भवन, खण्ड-2, पंचम तल, अरेंगा हिल्स, भोपाल

क्र. 17135/22/वि-12/E-3-2/2017

भोपाल, दिनांक 14.07.2017

विज्ञप्ति (स)

महात्मा गांधी राज्य रोजगार गारंटी परिषद, मुख्यालय में निम्नलिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर पदस्थापना/सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा नियुक्ति हेतु, अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं :—

क्र	पदनाम	प्रतिनियुक्ति/संविदा हेतु समकक्ष वेतनमान	नियुक्ति का प्रकार	अधिकतम आयु सीमा	प्रतिनियुक्ति/संविदा के लिए न्यूनतम अर्हताएं	अनुमानित पद संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य अभियंता (सिविल)	वेतन बैंड में वेतन रु0 37400-67000 वेतनमान में घेड पे रु0 8900/-	प्रतिनियुक्ति		मुख्य अभियंता (सिविल) के मूल पर पद पर कार्यरत अथवा अधीक्षण यंत्री के पद पर कार्यरत एवं न्यूनतम 3 वर्ष अधीक्षण यंत्री के मूल पदधारित करते हुये सेवा की हो।	01	मनरेगा मुख्यालय हेतु
		रु. 90000/- प्रतिमाह	से.नि. उपरांत संविदा	63 वर्ष	मुख्य अभियंता (सिविल) से सेवानिवृत्त अथवा अधीक्षण यंत्री के पद से सेवानिवृत्त एवं न्यूनतम 3 वर्ष अधीक्षण यंत्री के मूल पदधारित करते हुये सेवा की हो।		
2	अधीक्षण यंत्री (सिविल)	वेतन बैंड में वेतन रु0 15600-39100 वेतनमान में घेड पे रु0 7600/-	प्रतिनियुक्ति		जल संसाधन/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा या केन्द्र/राज्य शासन के उपकरणों में अधीक्षण यंत्री के पद पर कार्यरत (सिविल इंजीनियरिंग डिप्रीवारी) अधिकारी।	02	मनरेगा मुख्यालय हेतु
		रु. 70000/- प्रतिमाह	से.नि. उपरांत संविदा	63 वर्ष	जल संसाधन/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा या केन्द्र/राज्य शासन के उपकरणों से अधीक्षण यंत्री (सिविल इंजीनियरिंग डिप्रीवारी) अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुये कर्मी।		
3	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	वेतन बैंड में वेतन रु0 15600-39100 वेतनमान में घेड पे रु0 6600/-	प्रतिनियुक्ति		जल संसाधन/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा या केन्द्र/राज्य शासन के उपकरणों में कार्यपालन यंत्री के पद पर कार्यरत (सिविल इंजीनियरिंग डिप्रीवारी) अधिकारी।	02	मनरेगा मुख्यालय हेतु
		रु. 50000/- प्रतिमाह	से.नि. उपरांत संविदा	63 वर्ष	जल संसाधन/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा या केन्द्र/राज्य शासन के उपकरणों से कार्यपालन यंत्री (सिविल इंजीनियरिंग डिप्रीवारी) अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुये कर्मी।		

2. उपरोक्त पदों की पूर्ति प्राथमिक रूप से प्रतिनियुक्ति आधार पर की जावेगी। प्रतिनियुक्ति पर योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में ही इन्हें से.नि. उपरांत संविदा आधार पर भरा जावेगा।


3. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से आगामी 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक भी आवेदन हेतु पात्र होंगे, अर्थात् दिनांक 31.01.2018 तक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक भी आवेदन कर सकेंगे। सेवानिवृत्ति उपरांत विज्ञापन जारी होने की दिनांक को 63 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सेवक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

4. उपरोक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये जाने वाले अभ्यर्थियों को उनके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहा वेतन म.प्र. शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार देय होगा। सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा पर पदस्थ किये जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिमाह निम्नानुसार एकजार्इ संविदा मानदेय देय होगा :—

- 4.1 मुख्य अभियंता — रु. 90000/- प्रतिमाह
- 4.2 अधीक्षण यंत्री — रु. 70000/- प्रतिमाह
- 4.3 कार्यपालन यंत्री — रु. 50000/- प्रतिमाह
- 5. संविद अधिकारी को प्रतिवर्ष निम्नानुसार अवकाश की पात्रता होगी —
- 5.1 आकस्मिक अवकाश — 13 दिवस
- 5.2 एच्छक अवकाश — 03 दिवस

- 5.2 एच्छिक अवकाश - 03 दिवस
 5.3 चिकित्सा अवकाश - 15 दिवस
6. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
7. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे। मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के पद पर कार्य करते हुये यदि उनके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत कार्य करने की सूचना प्राप्त होती है तो उन्हें सम्यक जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर आयुक्त, मनरेगा द्वारा तत्काल सेवा से पृथक किया जावेगा। मनरेगा को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के आचरण/कार्य से वित्तीय हानि होने की स्थिति में वसूली भू. राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी तथा आवश्यकता होने पर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जा सकेगा।
8. प्रतिनियुक्ति आधार पर चयनित आवेदक विभागों की सहमति से तथा आवश्यकतानुसार कार्य करते रहेंगे। से.नि. उपरांत संविदा आधार पर दो वर्ष की समयावधि के लिए नियुक्ति की जावेगी। इसके पश्चात आवश्यकता होने पर प्रतिवर्ष कार्य की समीक्षा उपरांत संविद अधिकारी का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रतिवर्ष एक-एक वर्ष की सेवा वृद्धि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
9. प्राधिकरण को कोई भी/सभी आवेदनों को अमान्य करने का अधिकार होगा।
10. आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
11. उक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति प्रसारित कर प्राप्त आवेदनों में योग्य अभ्यर्थियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर उनके मूल विभाग से सेवाकाल के अंतिम पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी मनरेगा द्वारा प्राप्त की जावेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग में कम से कम तीन वर्षों में क एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में घ न हो, के अनुरूप होना चाहिये एवं ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन के प्रकरण लंबित न होने पर पदस्थापना हेतु पात्र माना जायेगा।
12. अर्हताएं एवं आयु सीमा तथा अनुभव इत्यादि के संबंध में वर्षों की गणना विज्ञापन जारी होने की दिनांक से की जावेगी।
13. उपरोक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से अथवा सेवानिवृत्त उपरांत संविदा के माध्यम से पूर्ति की जाना है, अतः फेशर अभ्यर्थी आवेदन न करें।
14. मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री का साक्षात्कार की दिनांक 21–22 अगस्त 2017 को नियत किया गया है।
15. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों को वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतन एवं भत्ते ही प्राप्त होंगे एवं म.प्र. शासन के नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होगा एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति में म.प्र. शासन के निर्देश लागू होंगे।
16. दिनांक 23.06.2017 को जारी विज्ञप्ति क्रमांक 15501 एवं 15502 में प्राप्त आवेदनों को इस विज्ञप्ति में शामिल नहीं किया जावेगा। अर्थात उन्हें पृथक से आवेदन करना होंगे। एक से अधिक पदों की अर्हता होने की स्थिति में चयन प्रक्रिया में शामिल होने हेतु आवेदन पर निर्धारित कॉलम में प्राथमिकता का क्रम उल्लेख करना होगा।

17. इच्छुक अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति/स.नि. उपरांत संविदा पदस्थापना हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रस्तुत करेंगे एवं आवेदन की एक अग्रिम प्रति कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल, म.प्र. के पते पर भेजें। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 09/08/2017 कार्यालयीन समय तक है। योग्य पाये गये अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु संबंधित आवेदकों को दूरभाष एवं डाक द्वारा सूचित किया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी विभागीय बेवसाईट mprda.com/default.html पर उपलब्ध है। भर्ती से संबंधित अतिरिक्त जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में दूरभाष क्र. 0755-2573389 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकेगी।


मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

1. Name of the post (Applied for) :
Recent coloured
P.P. size photo
graph attested by
self
2. Post code no. :
(i.e. s. no. of post in advertisement)
3. Name of applicant :
(Name) (Surname)
4. Father's name :
(Name) (Surname)
5. Permanent address :
PIN.....
6. Present address :
PIN.....
(Address proof : Enclosure 1)
7. Date of birth : / / (In words)
(Attested true copy of marksheets of Higher Secondary School Certificate Examination /equivalent examination exhibiting date of birth : Enclosure 2)
8. Age as on the date of Advertisement : Years Months Days
9. Category (Please tick) : **Unreserved/ OBC/ SC/ ST**
(Self attested true copy of caste certificate in case of OBC/SC/ST candidate : Enclosure3)
10. Home district :
11. Educational qualification details :
(1) Post Graduation : Degree Specialisation in
(2) Graduation : Degree Subject
(3) Others (Diploma etc.) : Description
12. Service and experience details :
(a) Parent Department :
(b) Details of organization :
(c) If working, then, present Post :

(d) If retired, then, name of the post from which retired :

(e) If working then address of the present office:

(f) Designation at first posting :

(g) If working, then present pay :

(As per present applicable pay rules)

(e.g. pay in the pay band and grade pay in revised pay structure)

(h) If retired, then last pay details :

(i) Present basic pay :: Rs.

(e.g. pay in pay band + grade pay, in revised pay structure)

(j) Post wise experience (as on date of publication of advertisement)

S.N.	Name of Post	from dateto date	field work experience Years Months ... Days.....	office work experience Years Months ... Days.....
1				
2				
3				
4				

(k) Total length of service (as on date of publication of advertisement)

:YearsMonthsDays.

(l) Total length of service (as on date of publication of advertisement)

:YearsMonthsDays.

12. PAN (if available) :

(Attested true copy: Enclosure . . .)

13. Cell phone no. :

14. Email ID :

15. Order of preference : 1. 2. 3.
(preference will be written by 1, 2 and 3 etc. with name of post if applied for more than 1 post
for example 1. CGM 2. CE, 3. SE 4. GM 5. EE)

(Signature of applicant)
Name of the applicant:

Declaration

I hereby declare that no criminal proceedings of any nature is pending against me. I further declare that information supplied by me in, the application form and its supplementary parts and enclosures annexed to it; are true to the best of my knowledge & belief. My selection to the post may be cancelled and suitable action may be taken, if information furnished by me in Application form is found false or incorrect at any point of time in future.

Date :

(Signature)

Place :

Name of the applicant:

Encl -